न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता जिला बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी जनक सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 169/19

1:— नरेश कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी हांपाहेडी तह. अन्ता जिला बारां
2:— मनोज कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी हांपाहेडी तह. अन्ता जिला बारां
3:— नवीन कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी हांपाहेडी तह. अन्ता जिला बारां
4:— लक्ष्मी पुत्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी हांपाहेडी तह. अन्ता जिला बारां

(वादीगण)

बनाम

1:— सत्यनारायण पुत्र बद्रीलाल जाति धाकड निवासी हांपाहेडी तहसील अन्ता जिला बारां
2:— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अन्ता जिला बारां राज0 (प्रतिवादीगण)

उपस्थित वकील :— 1.श्री अक्षय राज सिंह (वादीगण)
2.श्री मन्जूर हसन खान (प्रतिवादी)

वाद अर्न्तगत धारा 88, 89 व 188 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांकः 29/08/19

हस्तगत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम हांपाहेडी तहसील अन्ता में खाता संख्या 195 ख0न0 43 रकबा 0.30 है0, ख0न0 44 रकबा 0.31 है0, ख0न0 48 रकबा 0.21 है0, ख0न0 366 रकबा 5.30 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 6.12 है0, भूमि स्थित है। उक्त जमीन पुश्तैनी है जो वादीगण के पिताजी सत्यनारायण जी को अपने पिता बद्रीलाल जी से विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त वर्णित भूमि पुश्तैनी होने से वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 का जन्मतः हक अधिकार निहित है।

पक्षकरों का सजरा निम्नानुसार हैः—

सत्यनारायण

नरेश कुमार	मनोज कुमार	नवीन कुमार	लक्ष्मी
पुत्र	पुत्र	पुत्र	पुत्री

विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खातेदारी में दर्ज होने के कारण उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 अपनी भूमि को अन्यत्र रहन बेचान करना चाहता है। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 का हक अधिकार जन्मतः नियत है। जिसमें वादीगण का हिस्सा निहित है। उक्त वर्णित भूमि में से वादीगण को 1/5—1/5—1/5—1/5 हिस्सा भूमि के बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 अपने—अपने हिस्से 1/5—1/5—1/5—1/5 भूमि पर मौके पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण अपने हिस्से 1/5—1/5—1/5—1/5 भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पा सकने के कानूनी

अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 05.07.2019 को वादीगण ने प्रतिवादी क्रम 1 से उक्त आराजियात में से अपना हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी क्रम 1 साफ इन्कार हो गया, जिस कारण वाद बमुकाम ग्राम हांपाहेडी तहसील अन्ता में उत्पन्न हुआ। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की सादिर डिक्री एवं निर्णय पारित फरमाया जावें किः—ग्राम हांपाहेडी तह. अन्ता में खाता संख्या 195 ख0न0 43 रकबा 0.30 है0, ख0न0 44 रकबा 0.31 है0, ख0न0 48 रकबा 0.21 है0, ख0न0 366 रकबा 5.30 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 6.12 हे. भूमि में से वादीगण को 1/5–1/5–1/5–1/5 हिस्से की भूमि में जन्मतः हक अधिकार होने व पुश्तैनी जमीन होने से बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावें कि उक्त विवादित आराजियात को प्रतिवादीगण अन्य रहन, बेचान या खुर्द बुर्द नही करें, वादीगण को अपने हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, वादीगण की काश्त व्यवस्था में किसी प्रकार की दखलांदाजी नही करें। ऐसा कार्य न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी करवाई गई। वादी की और से श्री अक्षयराज सिंह अधिवक्ता द्वारा वकालत नामा पेश किया एवं प्रतिवादीगण की और से श्री मन्जूर हसन खां अधिवक्ता द्वारा वकालत नामा के साथ इकबालिया जवाब दावा मय शपथ पत्र पैश किया। पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से जर्ये अधिवक्ता राजीनामा पेश किया। राजीनामा अनुसार ग्राम हांपाहेडी तह. अन्ता में खाता संख्या 195 ख0न0 43 रकबा 0.30 है0, ख0न0 44 रकबा 0.31 है0, ख0न0 48 रकबा 0.21 है0, ख0न0 366 रकबा 5.30 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 6.12 हे. भूमि स्थित है। उक्त जमीन पुश्तैनी है जो वादीगण के पिताजी सत्यनारायण जी को अपने पिता बद्रीलाल जी से विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त वर्णित भूमि पुश्तैनी होने से वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 का जन्मतः हक अधिकार निहित है। उक्त विवादित आराजी के प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा कर राजस्व रिकार्ड में खाते 1/5–1/5–1/5–1/5 भूमि वादीगण के नाम दर्ज करवाने के लिये प्रतिवादी क्रम 1 सहमत है। इसमें दोनों पक्षों को कोई ऐजराज नही है। उक्त राजीनामा वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपसी सहमति से बिना किसी दाब–दबाव के, अपनी स्वेच्छा से कर रहे है। यह राजीनामा दोनों पक्षों ने लोक अदालत की भावना से किया है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 को कोई ऐतराज नही है।

उक्त राजीनामा पेश कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा व दावा अनुसार दावा डिक्री एवं निर्णय पारित फरमाया जावें। ग्राम हांपाहेडी तहसील अन्ता में खाता संख्या 195 ख0न0 43 रकबा 0.30 है0, ख0न0 44 रकबा 0.31 है0, ख0न0 48 रकबा 0.21 है0, ख0न0 366 रकबा 5.30 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 6.12 हे. भूमि में से वादीगण 1/5–1/5–1/5–1/5 हिस्से के बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित किये जाने में

प्रतिवादी क्रम 1 का कोई ऐजराज नही है, वादीगण के नाम 1/5–1/5–1/5–1/5 भूमि खाते दर्ज की जावे।

राजीनामा प्रस्तुत होने पर हमने आद्योपान्त पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया। लोक अदालत की भावना से प्रस्तुत राजीनामा से पक्षकारान सहमत होने से राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किया जाता है कि ग्राम हांपाहेडी तहसील अन्ता में खाता संख्या 195 ख0न0 43 रकबा 0.30 है0, ख0न0 44 रकबा 0.31 है0, ख0न0 48 रकबा 0.21 है0, ख0न0 366 रकबा 5.30 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 6.12 है. भूमि में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 हिस्से के बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता राजीनामा अनुसार डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार अन्ता को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में वर्णित भूमि पर समस्त प्रकार के भार/ऋण (रहन) यदि कोई होतो यथावत दर्ज किया जावे एवं आवश्यक हो तो नियमानुसार हकतर्क स्टाम्प डयूटी जमा करवाई जाकर निर्णय अनुसार पालना कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे। प्रकरण फैसल शुमार कर नम्बर से कम कर दाखिल दफतर हो ।

निर्णय हमारे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनाक 29/08/19 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अन्ता जिला बारां (राज0)

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(औ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अन्ता जिला बारा बइजलास

पीठासीन अधिकारी श्री जनक सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 169 / 19

1:– नरेश कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी हांपाहेडी तह. अन्ता जिला बारां

2:– मनोज कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी हांपाहेडी तह. अन्ता जिला बारां

3:– नवीन कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी हांपाहेडी तह. अन्ता जिला बारां

4:– लक्ष्मी पुत्री सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी हांपाहेडी तह. अन्ता जिला बारां (वादीगण)

बनाम

1:– सत्यनारायण पुत्र बद्रीलाल जाति धाकड निवासी हांपाहेडी तहसील अन्ता जिला बारां

2:– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अन्ता जिला बारां राज0 (प्रतिवादीगण)

वाद अर्न्तगत धारा 88, 89 व 188 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांकः 29/08/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसा कतई रूबरू **श्री अक्षयराज सिंह** एडवाकेट हाजरी मिनजानिब मुददई रूबरू **श्री मन्जूर हसन खॉ** पेश हो कर हुक्म दिया जाता है ग्राम हांपाहेडी तहसील अन्ता में खाता संख्या 195 ख0न0 43 रकबा 0.30 है0, ख0न0 44 रकबा 0.31 है0, ख0न0 48 रकबा 0.21 है0, ख0न0 366 रकबा 5.30 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 6.12 हे. भूमि में वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 हिस्से के बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता राजीनामा अनुसार डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार अन्ता को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में वर्णित भूमि पर समस्त प्रकार के भार/ऋण (रहन) यदि कोई होतो यथावत दर्ज किया जावे एवं आवश्यक हो तो नियमानुसार हकतर्क स्टाम्प डयूटी जमा करवाई जाकर निर्णय अनुसार पालना कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे। प्रकरण फैसल शुमार कर नम्बर से कम कर दाखिल दफतर हो ।

उपखण्ड अधिकारी
अन्ता

ददई	रूपया	पैसा	मुददई	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकिल			महनताना वकिल		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत इजराई हुकतनामा			बाबत इजराई हुकतनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म एवं नकल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहै डिक्री के जरिय दिखाया गया हो या नही दजै करना चाहीय।